



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

No: 605 / SEIAA/2023

Date: 6/6/23

प्रति,

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC),
अनुसंधान एवं विकास विंग,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल (म.प्र.) - 462016

विषय :- परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि. द्वारा ग्राम तिलोरा, जिला सतना लाईमस्टोन खदान, रकबा 193.252 हेक्टेयर पर उत्पादन क्षमता विस्तार हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन क्र. 425977/2023 (प्रकरण क्र. 9932/2023) एवं ग्राम भदनपुर जिला सतना में लाईमस्टोन खदान, रकबा 217.681 हेक्टेयर पर उत्पादन क्षमता विस्तार हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन क्र. 407669/2022 (प्रकरण क्र. 9933/2023) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 789वी बैठक दिनांक 30.05.2023 में चर्चानुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया

".....मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि. द्वारा उत्पादन क्षमता विस्तार हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदित आवेदन क्र. SIA/MP/MIN/407669/2022 एवं SIA/MP/MIN/425977/2023 में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 में निर्णित कार्यवाही के परिपालन में SEIAA स्तर पर दोनो प्रकरण पंजीबद्ध कर Standard ToR जारी किया जाये तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।"

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में प्रकरण क्र. 9932/2023 एवं 9933/2023 में Standard ToR जारी किया जाना है अतः उक्त प्रकरणों को SEAC की आगामी बैठक दिनांक 09.06.2023 के एजेण्डे की सूची से हटाने का कष्ट करें। जिससे कि प्रकरणों में Standard ToR जारी किया जा सके।

SSO(SEAC)
mt

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव